राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 20 जून, 2022 की बैठक का कार्यवृत्त

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 20 जून, 2022 को 11.00 बजे प्रशासनिक खण्ड के प्रथम तल पर स्थित समिति कक्ष में निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1.	आचार्य प्रमोद कुमार जैन, निदेशक	-	अध्यक्ष
2.	आचार्य राजीव श्रीवास्तव, अधिष्ठाता (संसाधन एवं पूर्व छात्र)	-	सदस्य
3.	आचार्य एस.बी.द्विवेदी, अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्य)	-	सदस्य
4.	आचार्य रजनेश त्यागी, अधिष्ठाता (संकाय कार्य)	-	सदस्य
5.	आचार्य विकाश कुमार दुबे, अधिष्ठाता (अनुसंधान एवं विकास)	-	सदस्य
6.	श्री राजन श्रीवास्तव, कुलसचिव (प्रभार)	-	सदस्य
7.	आचार्य संजय कुमार पांडेय, गणितीय विज्ञान विभाग	-	सदस्य
8.	आचार्य सुशांत कुमार श्रीवास्तव, भैषजकीय अभियांत्रिकी विभाग	-	सदस्य
9.	श्रीमती स्वाति बिस्वास, संयुक्त कुलसचिव (लेखा)	-	सदस्य
10.	श्री रोहित कुमार राय, सहायक कुलसचिव (राजभाषा)	-	सदस्य सचिव

आचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी, आचार्य एल.पी.सिंह, अधिष्ठाता (छात्र कल्याण) तथा आचार्य सत्यवीर सिंह एवं श्री जगदीश नारायण राय, संयोजक, केंद्रीय सचिवालय, हिंदी परिषद, वाराणसी बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची के मदों पर चर्चा प्रारम्भ की गई।

मद सं. 1: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 17 मार्च, 2022 की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

दिनांक 17 मार्च, 2022 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की समिति ने पुष्टि की।

मद सं. 2: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 17 मार्च, 2022 की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई:

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 17 मार्च, 2022 की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की पुष्टि करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. समिति को यह अवगत कराया गया कि डॉ. मनहर चारण, सहायक आचार्य, मानवतावादी अध्ययन विभाग द्वारा पुस्तक लेखन प्रस्ताव में खर्चों का ब्यौरा रुपये 100,000/- (एक लाख) के अंदर प्रस्तुत किया गया है। अब प्रस्तावक से पुस्तक लेखन का कार्य प्रारम्भ करने हेतु एक वर्ष की समयावधि बताने का अनुरोध किया जाय।

2. हिन्दी में तैयार शैक्षणिक प्रपत्रों की समीक्षा हेतु आचार्य एस.बी.द्विवेदी, अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्य), आचार्य संजय कुमार पांडेय एवं आचार्य सुशांत कुमार श्रीवास्तव की एक समिति गठित की जाय, जिसमें एक बार बैठक आयोजित कर प्रपत्रों की पूर्ण जांच कर लें एवं तत्पश्चात प्रपत्रों को सीनेट की बैठक में रखे।

3. भैषजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष से यह अनुरोध किया जाय कि वे आचार्य सुशांत कुमार श्रीवास्तव द्वारा हिन्दी में तैयार बी.फार्मा के प्रयोगशाला पुस्तिका (लैब मैनुअल) को विभाग के डीयूजीसी (DUGC) की बैठक में रखे एवं तत्पश्चात प्रयोगशाला पुस्तिका का प्रयोग किया जाय। उक्त अनुरोध राजभाषा प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जाय।

4. संस्थान में संग्रहालय स्थापित करने की दिशा में मुख्य ग्रंथालय द्वारा एक कक्ष का निर्धारण किया जा चुका है। मुख्य कार्यशाला को एक पत्र भेजा जाय कि संग्रहालय स्थापित करने की दिशा में मशीनों एवं उपकरणों को रखने हेतु एक स्थायी कक्ष निर्धारित कर लें। संग्रहालय हेतु गठित समिति द्वारा दोनों जगहों पर एक बार भ्रमण करके राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अगली बैठक में इससे अवगत कराए एवं संग्रहालय का स्वरूप भी अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

5. हिन्दी में प्राप्त पुस्तक लेखन प्रस्तावों की एक सूची तैयार की जाए, जिसमें स्वीकृति प्रदान किए गए प्रस्ताव, कुल प्राप्त प्रस्ताव, कमियों के कारण रुके हुए प्रस्ताव सभी अंकित हो। पुस्तक लेखन कार्य में यथासंभव इनवाइस बिल ही दिया जाए। जहा इनवाइस बिल देना संभव न हो वहीं हस्तलिखित बिल प्रस्तुत करें। अपने पुस्तक की प्रूफ शोधन किसी दूसरे विशेषज्ञ से कराए। समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि मौलिक लेखन कार्य व प्रूफ शोधन में जिन लेखकों ने पारिश्रमिक की मांग की हैं वे संस्थान द्वारा लेखन कार्य हेतु दिये जाने वाले कुल राशि में से टोकन राशि स्वीकार करें।

   संस्थान के सभी संकाय सदस्यों से हिन्दी में पुस्तक लेखन प्रस्ताव भेजने हेतु पुनः अनुरोध किया जाय एवं संस्थान के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों से भी हिन्दी में पुस्तक लेखन का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाय। उक्त प्रस्ताव का विषय उनके कार्यक्षेत्र से जुड़ा हो एवं खर्चों का ब्यौरा एक लाख के अंदर हो।

कृ.पृ.उ.

6. संस्थान की वेबसाइट iitbhu.ac.in के द्विभाषीकरण हेतु गठित समिति द्वारा पहले चरण में यह पहचान कर लिया जाए कि किन-किन विषय-वस्तु का हिन्दी संस्करण करना है। जिसके अंतर्गत सभी टैब, संकाय सदस्य व अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम/पदनाम, सभी प्रपत्र, संदेश इत्यादि शामिल करें। उक्त विषयों को हिन्दी में तैयार कर वेब प्रबंधन को अपलोड करने हेतु उपलब्ध कराएं।

मद सं. 3: समिति के समक्ष पिछले चार तिमाहियों के हिन्दी प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति ने संतोष व्यक्त किया।

मद सं. 4: संस्थान में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गए-

क) संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों से यह अनुरोध किया जाय कि वे अपने विभाग/अनुभाग में सभी अधिकारियों के ई-मेल में हस्ताक्षर वाले स्थान पर नाम, पदनाम, विभाग/अनुभाग का नाम द्विभाषी (हिन्दी व अंग्रेजी) में सेट करा दें, जिसमें हिन्दी ऊपर व अंग्रेजी नीचे हो तथा कहीं भी ईमेल भेजने पर इसका प्रयोग करें।

ख) अँग्रेजी में प्राप्त पत्रों का जवाब 'क' क्षेत्र के लिए शत-प्रतिशत हिन्दी में देने का प्रयास किया जाय, जिससे हिन्दी में पत्रों का प्रतिशत बढ़ाया जा सके।

ग) अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्य) से यह अनुरोध किया जाए कि संस्थान में शोध प्रबंध (Ph.d Thesis) कार्य में सारांश का एक पेज अनिवार्य रूप से हिन्दी में तैयार करवाने के मामले को संस्थान सलाहकार समिति (एडवाइजरी कमेटी) में रखे। तत्पश्चात सीनेट में ले जाए। शोध प्रबंध का शीर्षक अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में भी लिखा जाय और शीर्षक को हिन्दी में बनाते समय रोमन लिपि का प्रयोग करे।

घ) संस्थान के राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा कई क्षेत्रीय भाषाओं में एक सरलतम तकनीकी शब्दावली (50 शब्दों का) तैयार करने के क्रम में तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली आयोग (CSTT) के मानक शब्दकोश का प्रयोग किया जाए, जिसके लिए सीएसटीटी से संपर्क किया जाय।

(रोहित राय)
सदस्य सचिव

(स्वाति बिस्वास)
सदस्य

(सुशांत कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य

(संजय कुमार पांडेय)
सदस्य

(राजन श्रीवास्तव)
सदस्य

(विकाश कुमार दुबे)
सदस्य

(रजनेश त्यागी)
सदस्य

(एस.बी.द्विवेदी)
सदस्य

(राजीव श्रीवास्तव)
सदस्य

(प्रमोद कुमार जैन)
अध्यक्ष